

जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 64/2020

अनवान

मांगीलाल बनाम शशीपाल वगैरा

दिनांक 9-11-2020

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उक्त अपील जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 25-2-2020 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे दिनांक 23-6-2020 को पेश की गई थी, जिस पर रीडर न्यायालय संभागीय आयुक्त की टिप्पणी के पश्चात पीठासीन अधिकारी महोदय (संभागीय आयुक्त) जोधपुर का पद रिक्त होने से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को भिजवाई जाने पर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे दिनांक 25/6/2020 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत अधिवक्ता एवं केवियटर अधिवक्ता को अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर दिनांक 26-6-20 को अपीलाधीन भूमि के संबंध मे स्थगन आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत निगरानी संख्या 2278/20 मे पारित आदेश दिनांक 14-8-20 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-6-20 को निरस्त करते हुए सर्वप्रथम उभयपक्ष को मयाद के न्दु पर सुनकर, मयाद बिन्दु तय करे उसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही करे । जिस पर उक्त पत्रावली इस न्यायालय मे सुनवाई हेतु विचाराधीन है ।

उक्त अपील जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है तथा संभाग के सभी जिला कलेक्टरों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार पूर्व जारी कार्यालय आदेशों एवं अंतिम कार्यालय आदेश क्रमांक कोर्ट/डीसी/2018/117 दिनांक 11 मई 2018 के द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय को ही होने से उक्त अपील की सुनवाई न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे कराने हेतु वर्तमान अपील पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर को स्थानांतरित की जाती है । उक्त अपील इस न्यायालय के दायरा रजिस्टर से जरिये स्थानांतरण कम की जायें । उभयपक्ष के अधिवक्तगण इस अपील की सुनवाई हेतु न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर मे दिनांक 10-11-2020 को उपस्थित होंगे ।

बति. संभागीय आयुक्त

जोधपुर

Noted for
10/11
←

CR

Received on 10/11/20

9/11/20

(initials)